कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 3(1) प्रमुवसं/लेखा/बजट/2023-24 54-150 दिनांक:- 6.4.23

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,

वन विभाग,

....

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रावधानानुसार व्यय सुनिश्चित करने बाबत्।

प्रसंग:- वित्त विभाग का परिपत्र कमांक प.4(48)वित्त-1(1)आ.व्य/2021 दिनांक 26.04.2022 एव कमांक प.4(1)वित्त -1(1)आ.व्य./2023 दिनांक 31.03.2023

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित परिपत्रो द्वारा जारी वित्त विभाग के निर्देशो की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करे। वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए विभाग को पूल बजट आवंटित किया गया हैं। इस आवंटित बजट पर नियत्रंण स्थापित करने के कम में आपसे निम्न बिन्दुओं की पालना विशेष रूप से अपेक्षित हैं :-

1. किसी भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बी.एफ.सी. के समय प्रस्तुत अनुमानों से अधिक व्यय नही किया जावें।
2. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बजट अनुमानों में प्रस्तुत व्यय के मासिक आनुपातिक व्यय के अनुसार व्यय किया जावें।
3. विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा बी.एफ.सी. में स्वीकृत किये गये बजट अनुमानों के अनुसार ही व्यय किया जावे disproportionate व्यय की स्थिति में बजट नियंत्रण अधिकारी के ध्यान में लाया जाकर व्यय किये जावे।
4. नवीन मद मे बिना सक्षम स्वीकृति के व्यय नही किया जावें।
5. किसी भी मद/उपमद में उसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन से व्यय नही किया जावें।
6. आहरण वितरण अधिकारी प्रत्येक राजकीय संव्यवहार में त्रुटियों/अनियमितताओं की समीक्षा कर भुगतान किया जावें।
7. IFMS पर उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टस की अद्यतन समीक्षा करते रहें।

भवदीय,

(डॉ. देवराज)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Devraj
Designation: Financial Advisor
Date: 2023.04.05 17:31:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3581095